रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 313] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 4, 1974/अग्रहायण 13, 1896

No. 313] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 4, 1974/AGRAHAYANA 13, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISRTY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CUSTOMS

New Delhi, the 4th December 1974

G.S.R. 679(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts 'Colour jumbo films' when imported into India, for processing into colour cine films, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), as is in excess of 60 percent *ad valorem*.

Provided that the importer shall, by the execution of a bond in such form and in such sum as may be prescribed by the Assistant Collector of Customs, binds himself to pay on demand, in respect of such quantity of colour jumbo films as is not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used for the aforesaid purpose, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation.

[No. 88/F. No. 355/73/74-Cus.I]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचनाएं

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1974

सा० का० नि० 679(अ).—वित्त अधिनियम, 1974 (1974 का 20) की धारा 19 की उपधारा (4) के साथ पठित, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, 'कलर जम्बो फिल्मों' को, जब वे भारत में कलर सिने फिल्मों में प्रसंस्करण के लिए आयातित की जाएं, उन पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उस भाग से, जो भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जितना मूल्यानुसार 60 प्रतिशत से अधिक हो, छूट देती है :

परन्तु यह तब जब कि आयातकर्ता सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर द्वारा विहित प्ररूप में और राशि के बन्धपत्र के निष्पादन द्वारा स्वयं को आबद्ध करे कि वह कलर जम्बो फिल्मों की ऐसी मात्रा की बाबत जिसके बारे में सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर के समाधानप्रद रूप में यह सिद्ध नहीं हुआ है कि वह पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई गई है, मांग किये जाने पर उतनी रकम का संदाय करेगा जो इसमें अन्तर्विष्ट छूट न दिए जाने की दशा में ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात किए जाने के समय पहले ही संदत्त शुल्क के बीच के अन्तर के बराबर हो।

[सं० 88/फा० सं० 355/73/74—सीमा शुल्क I]

G.S.R. 680(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 19 of the Finance Act, 1974 (20 of 1974), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts 'colour jumbo films' when imported into India, for processing into colour cine films, from so much of the auxiliary duty of customs leviable thereon, under sub-section (1) of section 19 of the Finance Act, 1974, as is in excess of 15 percent *ad valorem*.

Provided that the importer, by the execution of a bond in such form and in such sum as may be prescribed by the Assistant Collector of Customs, binds himself to pay on demand, in respect of such quantity of colour jumbo films as is not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used for the aforesaid purpose, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation.

[No. 89/F. No. 355/73/74-Cus.I]

B. C. RASTOGI, Dy. Secy.

सा० का० नि० 680(अ).—वित्त अधिनियम 1974 (1974 का 20) की धारा 19 की उपधारा (4) के साथ पठित, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, 'कलर जम्बो फिल्मों' को, जब वे भारत में कलर सिने फिल्मों में प्रसंस्करण के लिए आयातित की जाएं, वित्त अधिनियम, 1974 की धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने सहायक सीमा-शुल्क से, जितना मूल्यानुसार 15 प्रतिशत से अधिक हो, छूट देती है :

परन्तु यह तब जब कि आयातकर्ता सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर द्वारा विहित प्ररूप में और राशि के बन्धपत्र के निष्पादन द्वारा स्वयं को आबद्ध करे कि वह कलर जम्बो फिल्मों की ऐसी मात्रा की बाबत जिसके बारे में सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर के समाधानप्रद रूप में यह सिद्ध नहीं हुआ है कि वह पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई गई है, मांग किये जाने पर उतनी रकम का संदाय करेगा जो इसमें अन्तर्विष्ट छूट न दिए जाने की दशा में ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात किए जाने के समय पहले ही संदत्त शुल्क के बीच के अन्तर के बराबर हो ।

[सं० 89/फा० सं० 355/73/74-सीमा शुल्क I]

बी० सी० रस्तोगी, उप सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974